बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

विज्ञापन संख्या–02/2009, स्वास्थ्य विभाग बिहार के अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सक (शिशु रोग) के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 14 (चौदह), 15 (पन्द्रह) विशेषज्ञ चिकित्सक (स्त्री रोग) एवं 13 (तेरह) विशेषज्ञ चिकित्सक (सामान्य सर्जन) एवं मूर्च्छक, 5 (पॉच) के सफल उम्मीदवारों की अनुशंसा की गयी है । अनुशंसित कुल 47 उम्मीदवारो की सूची निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	जन्म तिथि
1.	विजय प्रसाद	02.05.66
2.	मो0 मतीन परवेज	09.04.71
3.	खालिद अहमद फसिही	20.09.72
4.	मनोज कुमार सिंह	22.02.68
5.	अमरेन्द्र कुमार	07.01.71
6.	रश्मि अग्रवाल	24.02.69
7.	महेश कुमार	01.01.69
8.	अविनाश कुमार सहाय	01.01.67
9.	बिमलेश कुमार	07.02.65
10.	अम्बिका नन्दन भारतवासी	12.01.68
11.	भारती सिन्हा	15.08.67
12.	दिनेश प्रसाद मंडल	01.01.67
13.	ललन कुमार लक्ष्मण	15.06.66
14.	शशि भूषण कुमार	25.04.70
15.	अनिता सिंह	02.01.65
16.	रूमाना रहमान	21.04.69
17.	पूनम कुमारी	26.01.69
18.	माधुरी कुमारी	03.04.67
19.	मधु अर्चना	29.08.68
20.	शिल्पी नारायण	23.11.68
21.	पूनम सिंह	14.10.67
22.	अनुपमा सहाय	17.09.69
23.	रीना कुमारी	05.12.68
24.	विजया	10.01.65
25.	अमिता नारायण	09.07.68
26.	जया शर्मा	13.07.77
27.	मीरा सिंह	12.01.65
28.	गायत्री कुमारी	02.01.67
29.	प्रेमा सिंह	30.12.64
30.	शबबीर अहमद	01.03.68

31.	राघवेन्द्र किशोर	01.12.64
32.	सेराज अहमद	04.06.67
33.	नित्यानंद पाठक	04.01.70
34.	पंकज कुमार मिश्रा	12.01.71
35.	प्रणय पुंज	19.11.64
36.	मो0 हारूण रशीद	20.12.64
37.	संजय कुमार सिंह	03.07.67
38.	प्रवीण कुमार	03.11.66
39.	अशोक कुमार मरीक	04.10.68
40.	दिलीप कुमार	21.01.71
41.	देवव्रत प्रसाद	18.04.69
42.	अभय कुमार	01.01.70
43.	राणा विश्व विजय सिंह	31.12.68
44.	प्रेम शंकर तिवारी	24.01.72
45.	जितेन्द्र नाथ मिश्र	24.11.71
46.	विनय कुमार लाल	16.01.68
47.	संजय कुमार गुप्ता	14.01.67

अतः इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उपर्युक्त सभी अनुशंसित उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित सूचना/ प्रमाण पत्र/ प्रपत्र के साथ वह दिनांक 13.12.2011 को 10.00बजे पूर्वा0 में स्वास्थ्य विभागीय सभागार कक्ष में श्री राजेन्द्र प्रसाद ओझा अपर सचिव की अध्यक्षता में गठित कमिटी के समक्ष उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

i) शैक्षणिक योग्यता यथा मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र, एम0बी0बी0एस0 की डिग्री, भारतीय चिकित्सा परिषद एवं सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पताल/ संस्थानों में 12 माह का अनिवार्य इन्टर्नशीप प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, स्थायी रूप से निबंधन का प्रमाण पत्र, एम0डी0/ डी0 एन0 वी0/ डी0ए0 (एनेस्थिसिया) / एनेस्थिसिया का एक साल का सिर्टिफिकेट की योग्यता (स्नात्तकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा डिग्री) एवं शिशु रोग विशेषज्ञ के लिए एम0डी0/ डी0एन0बी0/ डी0सी0एच0 (पैडियेट्रिक), डी0जी0ओ0 (ओ0बी0जी0), एम0एस0/डी0एन0बी0 (जेनरल सर्जरी) की योग्यता की डिग्री की मूल प्रति के साथ सभी प्रमाण पत्रो की एक एक फोटो अभिप्रमाणित प्रति ।

ii) जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की मूल प्रति (एक फोटो अभिप्रमाणित प्रति के साथ) तथा तीन अद्यतन पासपोर्ट साईज का फोटो, विहित प्रपत्र में सक्षम न्यायालय या पब्लिक नोटरी के समक्ष लिए गये शपथ पत्र ।

iii) सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के पत्रांक 1859 दिनांक 8.7.06 द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रपत्र एक चेक स्लीप में सभी सूचना भरकर लाना होगा ।

iv) उपर्युक्त सूचना एवं प्रपत्र विभागीय वेवसाईट www.health.bih.nic.in पर उपलब्ध है । वेवसाईट पर शपथ पत्र की प्रति एंव सत्यापन प्रपत्र की प्रति तथा चेक स्लीप भी उपलब्ध है, जिसे डाउन लोडकर व्यवहार में लाया जा सकता है ।

ह0/–
(संजय कुमार)
संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य विभाग,बिहार,पटना ।

ज्ञापांक–2/नियुक्ति (विशेषज्ञ)–02/11–2017(2)/पटना, दिनांक– 23-11-11

प्रतिलिपिः– महानिदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि उक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रो में निर्धारित तिथि के पहले प्रकाशित कराने की कृपा की जाय एवं प्रेस कतरण इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

प्रतिलिपि– सचिव, स्वास्थ्य विभाग /श्री राजेन्द्र प्रसाद ओझा, अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/ श्री संजय कुमार, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/श्री मनोज कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/ डा0 सुरेन्द्र प्रसाद, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/डा0 जगदीश सिंह, उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/ डा0 देवीदत्त गुप्ता, उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि– श्री चन्द्रशेखर प्रकाश, कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्वास्थ्य विभाग को अनुलग्नक सहित सी0डी0 के साथ विभागीय वेवसाईट पर डालने हेतु प्रेषित ।

23/11/2011

संयुक्त सचिव
स्वास्थ्य विभाग,बिहार,पटना ।

23/11/11

बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा विज्ञापन संख्या–02/09 से संबंधित चिकित्सा पदाधिकारियों के नियुक्ति के संबंध मे चेक स्लिप

1.	क्रमांक					
2.	BPSC का योग्यता क्रमांक					
3.	BPSC का रौल नम्बर					
4.	अभ्यर्थी का नाम					
5.	जन्म तिथि					
6.	स्थायी पता					
7.	वर्तमान पता					
8.	दूरभाष संख्या					
9.	योग्यता					
10.	आरक्षण श्रेणी					
11.	उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रो का व्यौरा					
12.	शपथ पत्र	प्राप्त	अप्राप्त			
13.	पुलिस भेरीफीकेशन हेतु सत्यापन प्रपत्र	प्राप्त	अप्राप्त			
14.	पदस्थापना हेतु पॉच इच्छित जिलों का नाम					

15. अभ्युक्ति

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

शपथ पत्र

समक्ष.....

मैं डा0..... वल्द .....

स्थायी पता ....

.....

.....पिन कोड.....

पत्राचार का पता.....

.....

.....पिन कोड.....

शपथ पूर्वक धोषणा करता हूँ कि :–

1) यह कि मैं विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग विशेषज्ञ)/सामान्य सर्जन विशेषज्ञ के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हूँ एवं नियुक्ति हेतु सहमति व्यक्त करता हूँ ।

2) यह कि चिकित्सा पदाधिकारी के पदपर नियुक्ति के उपरान्त बिहार सरकारी आचार नियमावली, 1976 के नियम 16 के आलोक में प्राईवेट व्यापार या नियोजन नहीं करूँगा ।

3) यह कि प्रथम प्रभार ग्रहण की तिथि से कम से कम देहाती क्षेत्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तीन (तीन) वर्षो की लगातार सेवा अनिवार्य रूप से दूँगा ।

4) यह कि दहेज नहीं लेने एवं दहेज नहीं देने की धोषणा करता हूँ ।

5) यह कि गैर व्यवसायिक भत्ता का मांग नहीं करूँगा ।

6) यह कि उपरोक्त शपथ पत्र धोषणा बिल्कुल सत्य है ।

शपथ कर्त्ता का हस्ताक्षर

सत्यापन प्रपत्र

अद्यतन पासपोर्ट
साईज का फोटो

चेतावनी

1. इस सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना भरना अथवा वास्तविक तथ्य छिपाए जाने को अयोग्यता माना जायगा तथा तद्नुसार अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है ।
2. यदि इस प्रपत्र को पूरा करने व प्रस्तुत किये जाने के बाद अभ्यार्थी को हवालात में डाला गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, उस पर मुकदमा चलाया गया हो, उस पर अर्थ दण्ड लगाया गया हो, उस पर कोई दोषारोपण हो, बहिष्कृत किया गया हो अथवा उसे दोष–मुक्त आदि किया गया हो तो इस आशय की सूचना तत्काल उस अधिकारी के भेजी जाय, जिसे यह सत्यापन प्रपत्र भेजा गया है । ऐसा न किये जाने पर यह माना जायगा कि अभ्यर्थी वास्तविक तथ्य छुपा रहा है ।
3. यदि व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय यह पता चलता है कि उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत सूचना भरी है या स्वाभाविक तथ्यों को छुपाया है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है ।

1. उपनामो सहित, यदि कोई हो, पूरा नाम (यदि आपने कभी अपने नाम अथवा, कुलनाम में अंशतः जोड़ा अथवा निकाला हो तो उसे विनिर्दिष्ट करें)

कुलनाम –

नाम–

2. वर्त्तमान पूरा अर्थात गांव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं0 गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर –

3. (क) घर का पूरा पता अर्थात गांव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं0 गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर और जिला मुख्यालय का नाम –

(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान/बंगलादेश (पूर्व पूर्वी पाकिस्तान) का निवासी है तो उस देश में रहने का पता तथा वहॉ से भारत आने का तारिख का उल्लेख करें ।

4. गत पॉच वर्षो के दौरान उन स्थानों के ब्योरे दें, (आवास–अवधि सहित) जहॉ आपने एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए निवास किया हों । 21 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद यदि आपने पाकिस्तान सहित अन्य देशों में एक वर्ष से अधिक के लिए निवास किया हो तो उन सभी स्थानों के भी ब्योरे प्रस्तुत करें –

5.

से	तक	आवास का पूरा पता (अर्थात गॉव थाना तथा जिला अथवा मकान नं0 गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर)	पूर्व कॉलम में उल्लिखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम
1	2	3	4

5.

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और/अथवा अधिवास द्वारा	जन्म स्थान	व्यवसाय(यदि सेवारत है तो पदनाम व कार्यालय का पता लिखें	पत्राचार का वर्त्तमान पता (दिवंगत होने की स्थिति में अंतिम पता)	घर का स्थायी पता
1	2	3	4	5	6
(क) पिता (उपनामों सहित यदि कोई हो) (ख) मॉ (ग) पत्नी/पिता (घ) भाई (ड़) बहन/बहनें					

6. उस पुत्र/पुत्रों और पुत्री/पुत्रियों के बारे में सूचना दें जो विदेश में रह रहें है:–

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और/अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	थ्जस देश में पढ़ रहे/रह रहे हैं, उसका पूरा पता	पूर्व कॉलम में उल्लिखित देश में कब से पढ़ रहे/रह रहे है ।
1	2	3	4	5

7. राष्ट्रीयता

(क) जन्म तिथि (क)
(ख) वर्त्तमान आयु (ख)
(ग) मैट्रिकुलेशन के प्रमाण–पत्र में दी गई आयु (ग)

8. (क) जिले व राज्य का नाम सहित जन्म स्थान (क)
(ख) आप किस जिले व राज्य से सम्बद्ध है (ख)
(ग) आपके पिता मूलतः किस जिले व राज्य से सम्बद्ध है (ग)

9. (क) आपका धर्म

(ख) क्या आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ी जाति से सम्बद्ध है । जिससे सम्बद्ध हों उसका नाम लिखें ।

10. 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूलों व कालेजों में शिक्षा प्राप्त की है, तारिख सहित उनका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता लिखें ।

पूरे पते सहित स्कूलों/कालेजों के नाम	स्कूल/कॉलेज में प्रवेश की तारिख	स्कूल/कॉलेज छोड़ने की तारिख	कौन–सी परीक्षा पास की

11. (क) क्या आप केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अर्द्ध–सरकारी निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा लोक उपकम अथवा निजी फर्म अथवा संस्थान में सेवारत है अथवा सेवारत रह चुके है । यदि हॉ तो सेवा की तारिख सहित पूर्ण व्योरा हें ।

12.

अवधि		पदनाम, वेतन तथा सेवा की प्रकृति	नियोक्ता का पूरा नाम व पता	पूर्व सेवा छोड़ने के कारण
से	तक			

(ख) क्या पिछली सेवा भारत सरकार, राज्य सरकार/किसी उपक्रम के स्वामित्वाधीन अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/विश्वविद्यालय/स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन थी ।

(ग) क्या आपने केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) निवामवली, 1965 अथवा इसके अनुरूप नियमावली के तहत एक माह के नोटिस पर सेवा छोड़ी थी ? क्या नोटिस दिये जाने अथवा सेवा समाप्त किये जाने से पूर्व बाद की तारिख में आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया ।

12. (i)(क) क्या आपके कभी गिरफ्तार किया गया है ? हॉ/नहीं

(ख) क्या कभी आप पर मुकदमा चला है ? हॉ/नहीं

(ग) क्या कभी आपको हिरासत में रखा गया है ? हॉ/नहीं

(घ) क्या कभी आपको नजरबंद किया गया है ? हॉ/नहीं

(ड़) क्या किसी विधि न्यायालय ने आप पर कभी अर्थ दण्ड डाला है ? हॉ/नहीं

(च) क्या कभी किसी विधि न्यायालय ने किसी अपराध के लिए आपको दोषी सिद्ध किया है हॉ/नहीं

(छ) क्या कभी किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान में आपको किसी परीक्षा में बैठनें से रोका है अथवा बहिष्कृत किया है ? हॉ/नहीं

(ज) क्या कभी किसी लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग ने अपने किसी परीक्षा/चयन से आपको बहिष्कृ/ आयोग घोषित किया है ? हॉ/नहीं

(झ) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरने के समय किसी विधि न्यायालय में आपके विरूद्ध कोई मुकदमा लंबित है ? हॉ/नहीं

(त्र) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरते समय किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान में आपके विरूद्ध कोई मामला लंबित है ? हॉ/नही

(ट) क्या सरकार के नियंत्रणाधीन अथवा अन्य किसी प्रशिक्षण संस्थान से आपको कार्यमुक्त किया गया/बहिष्कृत किया गया/ निकाला गया ? हॉ/नहीं

(ii) यदि यह प्रपत्र भरते समय उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर हॉ है तो उस मुकदमें/गिरफ्तारी/हिरासत अर्थ दण्ड/दण्डादेश/सजा आदि के बारे में और/ अथवा किसी न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक प्राधिकरण आदि में लंबित मुकदमें की प्रकृति के पूर्ण व्योरे दें ।

(iii) **नोट**– (1) कृपया इस प्रपत्र के प्रारम्भ में लिखित चेतावनी को भी देखें ।

(2) प्रत्येक प्रश्न का विशिष्ट उत्तर "हॉ" अथवा "नहीं" जैसा भी मामला हो, काट कर दिया जाय ।

13. अपनं क्षेत्र के ऐसे दो व्यक्तियों के नाम अथवा हवाले लिखे जो आपको जानते हों–

(1)
(2)

14. मैं सत्यनिष्ठा से घोषित करता/करती हूँ कि मेरे मात्र एक जीवित पत्नी/पती है । मै प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्यूक्त सूचना सही तथा पूर्ण है । में किन्ही ऐसी परिस्थियों से अवगत नहीं हूँ जिसके तहत मै सरकारी नौकरी के अयोग्य/माना/मानी जाउँ ।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

तारीख

स्थान

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा

(1) नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी का नाम, पदनाम तथा पूरा पता

(2) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया गया वह पद, जिस पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा रहा है

.....